



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 15.10.2021

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध अस्लाह रखने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर नाजायज बरामद

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध अस्लाह रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 15.10.21 को बाबा मार्किट बी ब्लॉक थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त मुकेश सिंघल पुत्र लीलाधर निवासी डी 192 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 तमंचा 0.315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर नाजायज बरामद हुआ अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1689/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने पास अवैध अस्लाह रखता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

मुकेश सिंघल पुत्र लीलाधर निवासी डी 192 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

01 तमंचा 0.315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर नाजायज ।

अभियुक्त यासीन का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1689/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नरपाल सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. का0 आबिद अली थाना कविनगर गाजियाबाद ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाला 01 नफर अभियुक्त 120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त अय्युब पुत्र खुर्शेद निवासी कंचन पार्क थाना लोनी गा0बाद को 120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज के साथ बंधला फलाईओवर के नीचे रेलवे लाइन के किनारे प्लेट फार्म के पास चौकी क्षेत्र कस्बा से दिनांक 15.10.2021 समय करीब 5.15 बजे बजे गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास –

1-अय्युब पुत्र खुर्शेद निवासी कंचन पार्क थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0सं0 1459/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी:-

120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी गा0बाद
2. हैड का0 961 ऋषि कुमार
3. हैड का0 921 ओमकार सिंह
4. का0 3771 ब्रजकिशोर

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी का वाहन का कारोबार करने वाले

03 अभियुक्त मय चोरी की 4 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी मय फर्जी

नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 नफर अभियुक्त 1-फुरकान पुत्र नसीयत निवासी गली नम्बर-10 33 फुटा रोड न्यु मुस्तफाबाद दिल्ली 2- सोनू उर्फ शानू पुत्र शोकीन निवासी नसंबन्दी कालोनी थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी नई बस्ती महर की कूडी खेकडा बागपत 3- आरिफ पुत्र असलम निवासी महर की कूडी खेकडा थाना खेकडा बागपत को चोरी की 04 मोटरसाइकिल व स्कूटी 1- मोटर साइकिल पेशन फर्जी नम्बर-UP14SH3970 इसका सही नम्बर-DL5SBH2115 सम्बन्धित एफ आई आर नम्बर-1216/2021 धारा 379 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद 2- मोटर साइकिल पेशन जिस पर DS4SBP9495 सम्बन्धित एफ आई आर नम्बर-029109/2021 व 3- मोटर साइकिल रजि0 नम्बर-DL7SBK4891 डिस्कवर मोटसाइकिल व 4-मोटर साइकिल स्टार सिटी रंग ग्रे नम्बर-UP17J8524 व 5-स्कूटी नम्बर DL13SL2073 के साथ लोनी तिराहा चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से दिनांक 15.10.2021 समय करीब 00.40 बजे गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता एवं आपराधिक इतिहास -

- 1-फुरकान पुत्र नसीयत निवासी गली नम्बर-10 33 फुटा रोड न्यु मुस्तफाबाद दिल्ली
- 2- सोनू उर्फ शानू पुत्र शोकीन निवासी नसंबन्दी कालोनी थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी नई बस्ती महर की कूडी खेकडा बागपत
- 3- आरिफ पुत्र असलम निवासी महर की कूडी खेकडा थाना खेकडा बागपत

मु0अ0सं0 1458/2021 धारा 411/414/482 भादवि थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं01216/2021 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद

E FIR NO. 029109/21 धारा 379 भादवि थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी:-

- 1- मोटर साइकिल पेशन रजि नं0 -DL5SBH2115 मय फर्जी नं0 प्लेट नम्बर-UP14SH3970
- 2- मोटर साइकिल पेशन न0 DS4SBP9495
- 3- मोटर साइकिल रजि0 नम्बर-DL7SBK4891
- 4-मोटर साइकिल स्टार सिटी रंग ग्रे नम्बर-UP17J8524
- 5-स्कूटी नम्बर DL13SL 2073
- 6- फर्जी नं0 प्लेट फर्जी नम्बर-UP14SH3970

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1 SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद

- 1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी गा0बाद
- 2.उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी लोनी तिराहा थाना लोनी गा0बाद
3. हैड का0 961 ऋषि कुमार

4 .हैड का0 921 ओमकार सिंह

4. का0 3771 ब्रजकिशोर



थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाली 01

अभियुक्ता 420 एल्प्राजोलम की नशीली गोलिया के साथ गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 महिला अभि0 सोना पत्नी सेन्टूशेख नि0 अंसार विहार थाना लोनी गाजियाबाद को 420 एल्प्राजोलम की नशीली गोलियां नाजायज के साथ अंसार विहार चौकी क्षेत्र डीएलएफ से दिनांक 15.10.2021 समय करीब 09.50 बजे बजे गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता एवं आपराधिक इतिहास –

सोना पत्नी सेन्टूशेख नि0 अंसार विहार थाना लोनी गाजियाबाद

मु0अ0सं0 1459/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी:-

420 एल्प्राजोलम की नशीली गोलियां नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद

1. उ0नि0 श्री दिनेश पाल सिंह चौकी प्रभारी डीएलएफ थाना लोनी गा0बाद

2. उ0नि0 यूटी सचिन कुमार

3 .हैड का0 1391 पंकज

4. है0का0 1608 राजकुमार

5.म0का0 749 मोनिका

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण कर दो

अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार। कब्जे से पूर्व में हुई चोरी का सामान तथा 29150

रुपये नकली नोट व दो किलो गांजा व घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की मो0सा0 वरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक लोनी बार्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्र में हो रही दिन-पर दिन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया। चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में संलिप्त अभियुक्तों पर एसटीएफ टीम मेरठ द्वारा पूर्व से ही कार्य किया जा रहा था। तथ्यों की सत्यता एवं काफी साक्ष्य एकत्रित करने के उपरान्त दिनांक 14/15.10.21 को थाना स्तर पर गठित टीम एवं एसटीएफ टीम मेरठ द्वारा दो अभियुक्तगणों 1. नदीम पुत्र साबिर अली नि० अलफता मस्जिद के पास मौ० प्रशान्त विहार कस्बा व थाना लोनी जनपद गा०बाद 2- आशुददीन उर्फ आशु पुत्र शौकीन अली नि० गली नं०-1, प्रशान्त विहार कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद को बेहटा पुलिस लोनी बोर्डर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं के सोने-चाँदी के जेवरात, 29150 रुपये के नकली नोट तथा 02 किलो गांजा व एक मो०सा० अपाची सफेद रंग नं०-DL-08SBQ-7239 चोरी की वरामद हुई है।

अभि०गणों से पूछताछ करने पर अभि०गणों द्वारा बताया गया कि साहब हमारे पास जो प्लास्टिक का कट्टा है, उसमें थाना लोनी बोर्डर के घरों में हुई चोरियों का कुछ सामान है तथा हमारे पास कुछ गांजा एवं नकली नोट भी है, जिन्हें बेचने एवं बदलने के लिये दिल्ली जा रहे हैं। हम पुलिस वालों द्वारा प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली गई तो उसमें जेबरात एवं नकद भारतीय मुद्रा के 100 रुपये 259 नोट, 500 रुपये के 03 नोट, 50 रुपये के 35 नोट नकली (कुल 29,150/-) बरामद हुये। बरामदा जेबरात के बारे में दोनों व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि उक्त जेबरात हम दोनों ने एवं हमारे साथी इरशाद कुरैशी पुत्र शौकत नि० युनूस फौजी का किराये का मकान मौ० इकराम नगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद एवं फिरोज नि० ग्राम फारूखनगर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद ने एक साथ मिलकर दिनांक 08.07.21 एवं 14.08.2021 को मौहल्ला राजनगर कालोनी तथा दिनांक 22.08.2021 को मौहल्ला इन्द्रापुरी एवं दिनांक 20.09.2021 को केशवनगर तथा 02.10.2021 को विकास कुंज, गुलाब वाटिका में बन्द घरों में ताला तोडकर चोरियाँ की थी। इन चोरियों में मिले जेवरात व रूपयों को हम चारों लोगों ने आपमें बराबर-बराबर बाँट लिया था। चोरियों के हम दोनों के हिस्से में आये रूपयों को हमने खर्च कर लिया है तथा हिस्से में आये जेवरात को बेचने जा रहे थे। दोनों से वरामदा नकली नोटों के बारे में सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि साहब ये रूपये हमारे साथी इरशाद ने बदलने के लिये दिये थे वह कहाँ से लाया हमें इसकी जानकारी नहीं है। नकली नोटों के सम्बन्ध में जनपदीय क्राइम ब्रांच द्वारा गहराई से जाँच जारी है। आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्तगण से बरामद मोटरसाईकिल रजि० न० डीएल-8एसबी-क्यू-7239 को जिपनेट पर डालकर चैक किया गया तो इसका इंजन न० DE4HE2646175, तथा चैसिस नं०- MD634KE46E2H51958 अंकित होना पाया गया है यह मोटरसाईकिल थाना रोहिणी दिल्ली से चोरीकी गई है, जिसके सम्बन्ध में थाना रोहिणी दिल्ली पर मु०अ०सं० 12068/21 धारा 379 भादवि दिनांक 03.05.2021 को पंजीकृत है।

अभि०गण अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह के शातिर अपराधी हैं। जो दिन व रात्रि में बन्द घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा नकली नोटों को असली के रूप में देकर भोली-भाली जनता को ठगते हैं एवं अवैध रूप से गांजे की तस्करी करते हैं तथा दिल्ली एनसीआर में भीड-भाड़ वाले इलाकों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

दो वांछित अभि०गण इरशाद कुरैशीपुत्र शौकत नि० युनूस फौजी का किराये का मकान मौ० इकराम नगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद एवं फिरोज नि० ग्राम फारूखनगर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की तलाश जारी है। गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उक्त अभि०गणों के विरुद्ध अन्य थानों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. नदीम पुत्र साबिर अली नि० अलफता मस्जिद के पास मौ० प्रशांत विहार कस्बा व थाना लोनी जनपद गा०बाद
- 2- आशुद्दीन उर्फ आशु पुत्र शौकीन अली नि० गली नं०-1, प्रशान्त विहार कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद

फरार वांछित अभि०गण का विवरण:-

- 1- इरशाद कुरैशी पुत्र शौकत नि० युनूस फौजी का किराये का मकान मौ० इकराम नगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद
- 2- फिरोज नि० ग्राम फारूखनगर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद

अभियुक्तगण नदीम व आशुद्दीन उपरोक्त से बरामद का विवरण-

- 1- मु०अ०सं० 763/21 धारा 457/380/411/413/414/34 भादवि से सम्बन्धित माल - 02 हार पीली धातु , 01 जोड़ी दस्तबन सफेद धातु , बच्चे के हाथ, सूरज चाँद , 01 मांग का टीका सफेद टीका , 03 जोड़ी सफेद धातु बिछिया, एक अंगूठी सफेद धातु , एक जोड़ी कानों के झुमके पीली धातु नोट:- मुकदमा वादिया श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व० ऋषिपाल चौधरी नि० ए-30 इन्द्रापुरी लोनी बोर्डर गा०बाद के घर से चोरी हुआ सामान वरामद
- 2- मु०अ०सं० 919/21 धारा 489सी,34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद से सम्बन्धित माल- भारतीय मुद्रा के 100 रुपये के 259 नोट, 500 रुपये के 03 नोट, 50रुपये के 35 नोट नकली,(कुल 29,150/-रुपये)
- 3- मु०अ०सं० 920/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित माल- 2 किलो गांजा
- 4- मु०अ०सं० 897/21 धारा 457/380/411/413/414/34 भादवि से सम्बन्धित माल- एक अदद लोंग 2- तीन अदद हार पीली धातु, दो अंगूठी जेंट्स व लेडिज पीली धातु , चार अदद चूड़ी पीली धातु , एक टीका पीली धातु , दो जोड़ी पाजेव सफेद धातु, हाथ फूल सफेद धातु, तीन अदद विदिया सफेद धातु, दो घड़ी लेडिज, जैन्ट्स नोट:- श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० महावीर सिंह नि० बी-ब्लाक म०नं० 64 विकास कुंज थाना लोनी बोर्डर के घर से चोरी हुआ सामान वरामद
- 5- मु०अ०सं० 849/21 धारा 457/380/411/413/414/34 भादवि से सम्बन्धित माल- एक हार, एक जोड़ी वाली, दो अंगूठी मर्दाना/जनाना, एक जोड़ी कानों के झुमके समस्त पीली धातु, दो जोड़ी झुमके पीली धातु के , 03 जोड़ी पाजेव सफेद धातु के, एक जोड़ी हार व एक जोड़ी मांग के टीके, एक झूमका समस्त सफेद धातु का नोट:- राजेश कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह नि० केशवनगर लोनी बोर्डर गा०बाद के घर से चोरी हुआ सामान वरामद
- 6- एक मो०सा० अपाची सफेद रंग नं०-DL-08SBQ-7239 स०मु०अ०सं० 12068/21 धारा 379/411 भादवि थाना रोहिणी दिल्ली
- 7- मु०अ०सं० 753/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि से सम्बन्धित माल- 01 जोड़ी कुण्डल/झुमके पीली धातु , 01 नाक की नथ पीली धातु नोट:- मुकदमा वादिया पूनम पत्नी गौतम नि० राजनगर कालोनी थाना लोनी बोर्डर गा०बाद के घर से चोरी हुआ सामान वरामद
- 8- मु०अ०सं० 731/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि से सम्बन्धित माल- 01 चैन पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, एक नाक की लोंग पीली धातु नोट:- मुकदमा वादिया भावना शर्मा पत्नी सतीश शर्मा नि० राजनगर कालोनी थाना लोनी बोर्डर गा०बाद के घर से चोरी हुआ सामान वरामद

अभियुक्त नदीम का आपराधिक इतिहास:-

- मु०अ०सं० 731/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- मु०अ०सं० 753/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- मु०अ०सं० 763/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- मु०अ०सं० 849/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

मु0अ0सं0 897/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
मु0अ0सं0 918/21 धारा 411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 919/21 धारा 489सी,34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 920/21 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 12068/21 धारा 379/411 भादवि थाना रोहिणी दिल्ली

अभियुक्त आशुदीन उर्फ आशू का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 731/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 753/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 763/21 धारा457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 849/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 897/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
मु0अ0सं0 918/21 धारा 411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 919/21 धारा 489सी,34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 920/21 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 12068/21 धारा 379/411 भादवि थाना रोहिणी दिल्ली

फरार अभियुक्त इरशाद कुरैशी का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 731/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 753/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 763/21 धारा457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 849/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 897/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
मु0अ0सं0 918/21 धारा 411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 919/21 धारा 489सी,34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 12068/21 धारा 379/411 भादवि थाना रोहिणी दिल्ली

फरार अभियुक्त फिरोज का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 731/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 753/21 धारा 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 763/21 धारा457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 849/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 897/21 धारा 457, 380/411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
मु0अ0सं0 918/21 धारा 411/413/414/34 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
मु0अ0सं0 12068/21 धारा 379/411 भादवि थाना रोहिणी दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली थाना स्तर पर गठित टीम -

- 1- उ0नि0 बृजकिशोर गौतम
- 2- उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर
- 3- उ0नि0सतेन्द्र यादव
- 4- उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह
- 5- उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह
- 6- है0का0 639 मौ0 ईनाम
- 7- का0 1336 सोविन्दर सिंह
- 8- का0 1233 मनवीर सिंह हुड्डा

एसटीएफ टीम मेरठ:-

- 1- निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार 2- उ०नि० श्री संजय कुमार 3- है०का० बीरवोस 4- है०का० रवि वत्सव 5- का० जॉनसन



थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्र में धमकी देकर 03 लाख की फिरौती माँगने के मामले में एक नफर अभि० मय एक अदद नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त मोबाईल सहित गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक 14.10.21 को मु०अ०स० 770/21 धारा 386 भादवि के वादी अंकुर गर्ग नि० वैशाली द्वारा सूचना दी गयी कि मोबाईल से 03 लाख रुपये की फिरौती की माँग की जा रही है नहीं देने पर उसे व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.10.2021 को से० 2,5 की पुलिया पर एलीवेटेड पुल के नीचे से एक अभियुक्त दिलीप कुमार S/O ओमप्रकाश निवासी तरामई थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को मय एक अदद नाजायज चाकू व प्रयुक्त मोबाईल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है ।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा फोन द्वारा जान से मारने की धमकी देकर फिरौती माँगकर अवैध रूप से धन अर्जित करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-

1. दिलीप कुमार S/O ओमप्रकाश निवासी तरामई थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु०अ०स० 770/2021 धारा 386 भादवि थाना कौशाम्बी गा०बाद
 2. मु०अ०स० 775/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कौशाम्बी गा०बाद
- व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है ।



थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 अभि0गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक लूटा हुआ मोबाइल व एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद ।

दिनांक 15.10.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 14.10.21 को समय 21.30 बजे वजीराबाद लोनी रोड पर भोपुरा से हिण्डन एयरफोर्स को जाने वाले रास्ते पर 150 फुटा कट पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद में अभि0बाद गण नितेश शर्मा व कमल किशोर जैन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 गण उपरोक्त ने बताया कि साहब हम लोगों ने दिल्ली से मोटर साइकिल चोरी की थी वह अभियुक्त नितेश शर्मा ने थाना साहिबाबाद गा0बाद से मोबाइल फोन रीयल- मी एक व्यक्ति से लूटा था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नितेश शर्मा पुत्र स्व0 नवल किशोर शर्मा नि0 ब्लाक ई-2 माता वैष्णो देवी मन्दिर गगन सिनेमा पीछे नन्दनगरी थाना थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र 20 वर्ष

2. कमल किशोर जैन पुत्र स्व० विक्रम जैन निवासी शुक्र बाजार के पास जेल के पीछे हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र 33 वर्ष

अभि० नितेश शर्मा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 2091/2021 धारा 392/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. मु०अ०स० 2094/2021 धारा 411/414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
3. मु०अ०स० 29042/2021 धारा 379 भादवि थाना ई पुलिस स्टेशन थेट क्राईम ब्रांच दिल्ली

अभि० कमल किशोर जैन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 2094/2021 धारा 411/414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. मु०अ०स० 29042/2021 धारा 379 भादवि थाना ई पुलिस स्टेशन थेट क्राईम ब्रांच दिल्ली

बरामदगी का विवरण:-

1. एक मोबाइल फोन – रीयल मी कम्पनी रंग नीला व काला जिसका IMEI NO- 868571049129795, 868571049129787 लूटा हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 2091/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।
2. मोटरसाइकिल न० DL 13SG 5395 चोरी की।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजे सहित एक तस्कर गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/ वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा दिनांक 15.10.2021 को शुक्रबाजार रोड गाँव भोवापुर के पास से अभियुक्त आर्यन खान उम्र 21 वर्ष S/O फिरोज खान R/O पाल चौक, भोवापुर थाना कौशांबी गाजियाबाद व मूल पता ग्राम थाडी थाना किशनपुर जिला सुपौल बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।



अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा गांजे की तस्करी करते हुए पकडा जाना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त अभियुक्त आर्यन खान उम्र 21 वर्ष S/O फिरोज खान R/O पाल चौक, भोवापुर थाना कौशांबी गाजियाबाद व मूल पता ग्राम थाडी थाना किशनपुर जिला सुपौल बिहार।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 776/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कौशाम्बी गा0बाद ।

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।